उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–60/2022–23

सरकार

बनाम्

कादिर खान

–: आदेश :–

दिनांक 1/8/23	अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला गोड्डा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–205/2022 दिनांक–13.07.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–4258/अप0शा0 दिनांक–10.10.2022 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17X-2462, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17X-2462, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17X-2462, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17X-2462, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक कादिर खान, पिता–गुलाम अंसारी, सा0–रानीडीह, पो0–सरौनी बाजार, थाना–गोड्डा मुफस्सिल, जिला–गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17X-2462,

ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उस पर बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध अवैध ढंग से बालू का परिवहन के कारण प्राथमिकी दर्ज किया गया है एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17X-2462, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं है, के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी से कारण–पृच्छा मांगे जाने पर विपक्षी न तो उपस्थित हुए और न ही विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है। अतएव जप्त वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17X-2462, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं है एवं उसमें लदे बालू को राजसात किया जाता है। इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के साथ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा को भी दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:34:09 +05:30
Location: 192.168.1.38